

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- झुन्झुनू नें पत्र क्रमांक जिशिअ/माध्य/झुन्झुनू /संस्था-2/ ट्रेनी/17/95 दिनांक 23.04.18 के द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार भूपेश व्याख्याता राजनीति विज्ञान द्वारा प्रेषित अवकाश प्रकरण को राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफ डी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11.06.2014 की अनुपालना में श्री देवेन्द्र कुमार भूपेश व्या. राज. विज्ञान, राजमावि टमकोर, झुन्झुनू द्वारा परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिविक्षा काल की अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	26.11.2015 से 28.11.2015	03
	03.12.2015 से 22.12.2015	20
	12.01.2016 से 05.02.2016	25
	08.02.2016 से 17.02.2016	10
	29.02.2016 से 19.03.2016	20
	26.03.2016 से 06.04.2016	12
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	90

संबंधित कार्मिक द्वारा दिनांक 20.07.2015 मध्याह्न पश्चात् को व्या. पद पर कार्यग्रहण किया गया है, इन्होंने कुल 149 दिवस का अवैतनिक अवकाश का उपभोग किया है। इसमें से 90 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर शेष 59 दिवस का अवैतनिक अवकाश प्रशासनिक/कार्मिक विभाग द्वारा शासन स्तर पर स्वीकृत किया जावेगा। इनके प्रोबेशन ट्रेनी अवधि वृद्धि बढाए जाने संबंधित आदेश व स्थाईकरण आदेश शासन स्वीकृति उपरान्त अलग से समेकित जारी किये जायेंगे।


(नथमल डिडेल)

आई.एस.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 02/08/2018

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक-माध्यमिक शिक्षा,
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. संक्षिप्त पत्रावली

7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर